

खिगन के वर

बनाम

बं० २०१६

किस्म मुकदमा

मु. नं.

२८५/१५

वर्ष

दिनांक

आज्ञा-पत्र

२७/८/१७

पत्रावली पेश हुई, वकील कमी के त हॉलर
मिलने वाले का उ. अ. ७२९ आदेश दिनांक
२५-०-१७ को पेश हो।

१५

१३/७/१७

पत्रावली मिसल तबली के आवेदन पत्र पर
पेश हुई। प्राथिया के द्वारा आवेदन बाक प्राथिया
पत्र की नोटबैल में खारिज करवाने हेतु प्राथिया
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्राथिया
अपना प्राथिया पत्र आगे नहीं चलाना चाहती
है। तथा प्राथिया की पहचान उनके अधिकार
श्री व अरेंग सिंह होम्बावत द्वारा की गई। अतः
पत्रावली नोटबैल में खारिज की जाती है। अतः
पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम
होना।

उपखण्ड अधिकारी
घोदमु सीकर

र. टी.
दिनांक
१३/७/१७